



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 295]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 1976/ छायांक 8, 1898

No. 295]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 1976/ASADHA 8, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सफलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 29th June 1976

S.O. 439(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Delhi (Milk and Milk Products) Control Order, 1976, namely:—

1 (1) This Order may be called the Delhi (Milk and Milk Products) Control (Amendment) Order, 1976,

(2) It shall come into force at once

2. In the proviso to paragraph 3 of the Delhi (Milk and Milk Products) Control Order, 1976. after item (iii), the following item shall be inserted, namely:—

“(iv) to the use of milk for the manufacture of any milk product to be exported for the purposes of being served at functions held by such delegations going abroad as the Central Government may specify in this behalf, and in relation to the export of any such milk product”

[No 6-4/76-LD1]

P. S. KOHIL, Jt. Secy

कृषि और सिंचाई संचालय

(कृषि विभाग)

भ्रादेश

नई दिल्ली, 29 जून, 1976

क्रा० प्रा० 439(घ).—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली (दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद) नियंत्रण आदेश, 1976 का संशोधन करने के लिए एतद्वारा नीचे लिखे आदेश देती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश दिल्ली (दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1976 कहा जाएगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. दिल्ली (दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद) नियंत्रण आदेश, 1976 के पैरा 3 के परत्तुक में मद (3) के बाद नीचे लिखी मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4) विदेश जाने वाले ऐसे प्रतिनिधि-मंडलों द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस बारे में विनिर्दिष्ट करे, आयोजित समारोहों में परोसने के प्रयोजनों के लिए निर्यात किये जाने वाले किसी दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण के लिए दूध के प्रयोग पर ऐसे किसी दुग्ध उत्पाद के निर्यात के संबंध में”।

[सं० 6-4/76-एल०डी०-1]

पी० एस० कोहली, संयुक्त सचिव।